

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री पंकज कुमार यादव पिता श्री सरजू यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 19, 08, 01, 16, 62, 61 & 11 के अधीन प्लॉट सं. 318, 326, 363, 364, 385, 413, 433, 463, 465, 42, 466, 483, 484, 485, 486, 490, 528, 574, 607, 615, 625, 632, 683, 718(पी), 718(पी), 725, 728, 754, 787, 789, 749, 803, 805, 709, 358, 334, 316, 652, 653, 654, 498, 499, 500, 534, 602, 660, 667, 696, 337 एवं 496; कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

- क. ऊपर उल्लेखित खाता स. 08, प्लॉट न. 498, 499, 500, 534, 602, 660, 667 एवं 696 जिसका रकबा 0.03 एकड़, 0.43 एकड़, 0.01 एकड़, 0.085 एकड़, 0.19 एकड़, 0.215 एकड़, 0.025 एकड़ और 1.505 एकड़ है जिसे केवला स. 20157 दिनांक 19.08.1981 के माध्यम से अमृत गोप, चंद्रजित गोप पिता बंशी गोप और परजू गोप, सरधु गोप पिता धनेश्वर गोप के द्वारा मो० प्रवतीया गंडुनी पति स्व. मंगर गंडू से खरीदगी की गयी थी
- ख. ऊपर उल्लेखित खाता स. 08, प्लॉट न. 803, 805 एवं 709 जिसका रकबा 0.17 एकड़, 0.26 एकड़ एवं 0.40 एकड़ है जिसे केवला स. 10021 दिनांक 28.05.1970 के माध्यम से वंशी महतो एवं अन्य पिता करम महतो के द्वारा मो० प्रवतीया पति स्व. मंगर गंडू से खरीदगी की गयी थी
- ग. ऊपर उल्लेखित खाता स. 62, प्लॉट न. 316 जिसका रकबा 0.713 एकड़ केवला स. 12588 दिनांक 13.09.1985 के माध्यम से वंशी महतो एवं अन्य पिता करम महतो ने बुधन गंडू एवं अन्य पिता स्व. जीवन गंडू और मोसोमात शूकरी देवी पति स्व. गहन गंडू से खरीदगी की गयी थी/-
- घ. ऊपर उल्लेखित खाता स. 61, प्लॉट न. 652, 653 एवं 654 जिसका रकबा 0.02 एकड़, 0.37 एकड़, एवं 0.90 एकड़ है जिसे केवला स. 11376 दिनांक 13.05.1972 के माध्यम से वंशी महतो एवं अन्य पिता करम महतो के द्वारा लटन गंडू पिता देवनाथ गंडू से खरीदगी की गयी थी
- ङ. ऊपर उल्लेखित खाता स. 11, प्लॉट न. 496 जिसका कुल रकबा 0.22 एकड़ केवला स. 5810 दिनांक 17.03.1972 के द्वारा चन्द्र शेखर सिंह पिता चौधरी वृन्दा सिंह के द्वारा खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत दुखन भुईया पिता झरी भुईया थे/ उस खरीदगी को चन्द्र शेखर सिंह पिता चौधरी वृन्दा सिंह ने केवला स. 4813 दिनांक 15.09.1995 के द्वारा श्री सरजू यादव पिता स्व. धनेश्वर यादव को बिक्री किया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50; जिला :- चतरा, खाता सं. 19, 08, 01, 16, 62, 61 & 11 के अधीन प्लॉट सं. 318, 326, 363, 364, 385, 413, 433, 463, 465, 42, 466, 483, 484, 485, 486, 490, 528, 574, 607, 615, 625, 632, 683, 718, 725, 728, 754, 787, 789, 749, 803, 805, 709, 358, 334, 316, 652, 653, 654, 498, 499, 500, 534, 602, 660, 667, 696, 337 एवं 496; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री पंकज कुमार यादव पिता श्री सरजू यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विरेश कुमार
21/09/2021

21/09/21

21/09/21